कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक–2162/बदायूँ/23699/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 21, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त,
बरेली।

विषय: बदायूँ में पीलीभीत–बरेली–भरतपुर मार्ग (SH-33) के चैनेज किमी0 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी0 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 13.29 हे0 संरक्षित वनद्यभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–3677/14–1, दिनांक 12.04.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नही हैं, जो निम्न प्रकार है :–

1– प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट पर प्रभागीय निदेषक के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 13.2935 होता है, जबकि आनलाइन एवं आफलाइन प्रस्ताव 13.29 हे0 का तैयार किया गया है। संषोधन की आवष्यकता है।

3– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में किमी0 चैनेज 102.115 से 131 तक अंकित है, जबकि सन्दर्भित पत्र के विषय एवं कई अन्य अभिलेखों में किमी0 चैनेज 102.115 से 114.20 तक अंकित है, जो विसंगतिपूर्ण है, तद्नुसार गणना भी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव संषोधित करें।

4– प्रस्ताव के साथ संलग्न बाधक 2604 वृक्षों की सूची के समस्त पृष्ठ पर केवल सेक्शन आफीसर के हस्ताक्षर अंकित हैं। प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें।

5– परियोजना के स्वीकृति की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवनत वनभूमि पर रोपण के प्राक्कलन में केवल 08 वर्ष के अनुरक्षण का बिना अनुमानित बृद्धि के समावेश किया गया है। संशोधित करें।

7– प्रस्ताव के पृष्ठ–24 पर संलग्न एन0पी0वी0 की वचनबद्धता स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार के पत्र दि0 05.02.2009 के अनुसार मार्ग चौड़ीकरण की परियोजनाओं में एन0पी0वी0 देय है। अतः संशोधित वचनबद्धता संलग्न करें। वचनबद्धता में इस आषय का भी समावेश करें में भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है, तो उक्त बढ़ी हुई धनराशि भी देना होगा। संशोधित वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक से प्रतिहसताक्षरित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की वचनबद्धता त्रुटिपूर्ण दर पर संलग्न की गयी है। ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के आधार पर गणना संलग्न करें।

9– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है तथा जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील अंकित नहीं है।

10– प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप पर अधिशासी अभियन्ता के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं तथा प्रस्तावित स्थल की kml file संलग्न नहीं है।

11– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–बी–2.3 पर प्रस्तावित वनभूमि का ग्रामवार विवरण अपलोड नहीं किया गया है।

12– ऑनलाइन पार्ट–1 एवं आफलाइन पार्ट–1 में अंकित सूचना में किमी0 चैनेज, अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल, सृजित रोजगार दिवस की संख्या, परियोजना की लागत, पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता आदि सूचनाओं में भिन्नता है।

13– ऑनलाइन पार्ट–2 प्रभागीय निदेशक/वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

14– आफलाइन पार्ट–2 में अंकित वानस्पतिक घनत्व ऑनलाइन पार्ट–2 में अंकित घनत्व से भिन्न है।

15– आफलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–10(1) पर अंकित सूचना सुसंगत नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगुने अवनत वनभूमि पर प्रस्तावित है। बिन्दु–10 से 12 तक के बिन्दुओं पर संलग्नक सं0/अन्य सूचनायें अंकित नहीं हैं।

16– आफलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर बाधक वृक्षों की संख्या अंकित नहीं है व प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

17– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषय–सूची को भी अपडेट करने का कष्ट करें।

<u>उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ किसी भी कार्यालय दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।</u> अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित करें।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांक–2162/ ,उक्तदिनांक</u>

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, बरेली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बदायूँ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।